4/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। चूंकि पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 23/8/22 को पेश हो।
23/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा० पत्र T.I. सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/8/22 को पेश हो।
26/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रा० पत्र T.I. मे वकील पक्षकारान ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थी खसरा सं. 169/399 व 350/462 का रिकॉर्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक व आधिपत्य की भूमि में किसी प्रकार से कानूनन अधिकार नहीं रखता है। प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने पर प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति हो सकती है। अत: अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण को [illegible] की निषेधाज्ञा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:35:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम जगमुन्दा तहसील नैनवां की खाता संख्या नयी 100 की खसरा संख्या 169/399 रकबा 3 बीघा, खसरा संख्या 350/462 रकबा 5 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा भूमि के सम्बन्ध में तास्फेसला वाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजी पर प्रार्थी को हांकने जोतने व फसल बोने से नहीं रोके, प्रार्थी को आराजी पर से बेदखल करके जबरदस्ती कब्जा नहीं करें, न किसी अन्य से ऐसा करावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।	
	Signature Not Verified Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar Date: 2023.03.20 12:35:56 IST Reason: SelfAttested	
	उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Scanned with CamScanner